

## The Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 255] No. 2551

नई दिल्ली, मंगलवार, जून ३, २००३/ज्येष्ठ १३, १९२५

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 3, 2003/JYAISTHA 13, 1925

## भारतीय रिज़र्व बैंक

(विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग)

## अधिसचना

मुंबई, 29 अप्रैल, 2003

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा क्रिकेशी करेंसी खाता) (दूसरा संशोधन किसी व्यक्ति 2003

सा.का.नि. 452(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 का 42) की धारा 9 के खंड (बी) और धारा 47 की उपधारा (2) के खंड (ई) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा दिनांक 3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 10/2000-आर बी. में आंशिक संशोधन करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी करेंसी खाता) विनियमावली, 2000 में निम्नलिखित संशोधन करता है, नामताः :---

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभः— (क) यह विनियमावली विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में किसी निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी करें मुद्रा खाता) (दूसरा संशोधन) विनियमावली, 2003 कहलाएगी।
  - (ख) यह राजकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।
- विनियमावली में संशोधन:— विदेशी मुद्रा प्रबंध ( भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी करेंसी खाता ) विनियमावली, 2000, में विनियम 7 के उप-विनियम 8 में ''किसी विदेशी कंपनी के कर्मचारी के रूप में भारत में निवासी विदेशी राज्य के राष्ट्रिक को प्रतिनियुक्ति पर'' शब्दों के बदले ''किसी विदेशी कंपनी के कर्मचारी के रूप में **भारत में निवासी विदेशी राज्य** के राष्ट्रिक को अथवा भारत के बाहर विदेशी कंपनी में नियोजित भारतीय नागरिक को और दो में से किसी एक मामले में प्रतिनिवुक्ति पर'' शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाए।

[सं. फेमा 89/2003-आर.बी.] कि. ज. उदेशी, कार्यपालक निदेशक

## RESERVE BANK OF INDIA (Exchange Control Department) NOTIFICATION

Mumbai, the 29th April, 2003

Foreign Exchange Management (Foreign Currency Account by a Person Resident in India) (Second Amendment) Regulations, 2003

G.S.R. 452(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of Section 9 and clause (e) of Sub-section (2) of Section 47 and in partial modification of its Notification No. FEMA 10/2000-RB dated 3rd May, 2000 the Reserve Bank of India makes 1547 GI/2003 (1)

the following amendments in the Foreign Exchange Management (Foreign Currency Account by a Person Resident in India) Regulations, 2000, namely:—

- 1. Short title and commencement:—(a) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Foreign Currency Account by a Person Resident in India) (Second Amendment) Regulations, 2003.
  - (b) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Amendment of the Regulation:—In the Foreign Exchange Management (Foreign Currency Account by a Person Resident in India) Regulations, 2000, in Sub-regulation 8 of Regulation 7, for the words "A national of a foreign State resident in India being an employee of a foreign company on deputation", the words "A national of a foreign State resident in India being an employee of a foreign company or a citizen of India employed by a foreign company outside India and in either case on deputation" shall be substituted.

[No. FEMA-89/2003-RB] K. J. UDESHI, Executive Director